प्रारूप – 31

परियोजना का नाम : – जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत देवोधुरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण।

(केवल जल विद्युत परियोजनाओं के लिये लागू)

प्रस्तावित परियोजना के विभिन्न घटको का मदवार / भूमिवार/क्षेत्रफलवार का विवरण।

क्र0 सं0	घटक / कम्पोंनेट (Component)	आरक्षित वन भूमि (है0मे0)	सिविल एवं सोयम भूमि (है0 में)	वन पंचायत भूमि (है0में)	संरक्षित वन (है0 में)	कुल वन भूमि (है0में)	नाप भूमि (है0में)	कुल योग (है0में)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
	योग :–							

लागू नहीं है।

ह0/– सहायक अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेन्सी
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रारुप–32

परियोजना का नाम : – जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत देवीधुरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण।

भवन निर्माण/जल विद्युत परियोजनाओं हेतु ले–आउट प्लान/मदवार विवरण दिया जाना होगा ।

लागू नहीं है।

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

(JE)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

जनपद नैनीताल में दैवीधूरा–धापला मोटर मार्ग के 5.50 कि0मी0 सड़क संरेखन की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या।

1. प्रस्तावनाः–

प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल द्वारा जनपद नैनीताल में दैवीधूरा–धापला मोटर मार्ग के 5.50 कि0मी0 भाग का बनाना प्रस्तावित है। अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल के द्वारा किये गये अनुरोध पर स्थल निरीक्षण दिनांक 10–09–2006 को श्री बी0आर0 वर्मा, सहायक अभियन्ता, एवं श्री भाष्कर त्रिपाठी, कनिष्ठ अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नैनीताल के साथ अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया गया। स्थल निरीक्षण स्थल की संरचना व बनावट भूगर्भीय एवं पर्यावरणीय परिस्थितियों के अध्ययन हेतु किया गया ताकि इस भाग में मार्ग निर्माण हेतु आवश्यक सुझाव दिया जा सके। चित्र (1–2)

2. स्थितिः–

(1) यह सड़क जनपद नैनीताल में बसाने–नाईसिला–बोहरागॉव–दैवीधुरा मोटर मार्ग के कि0मी0 20.725 के बोहरागांव से प्रारम्भ होता है। (चित्र–1)

(2) भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार धापला..........................अक्षांश तथा.............. ....देशांतर पर स्थित है। (चित्र–2)

3. भूगर्भीय स्थितिः–

यह सड़क संरेखन शिवालिक हिमालय के सैण्ड स्टोन फारमेशन में फैला हुआ है। स्थल क्षेत्र में सैण्ड स्टोन चट्टानें मोटे पर्त वाली, मिट्टी के रंग की, तीन प्रकार की ज्वाइंट से पूर्ण, दक्षिणपश्चिम दिशा के झुकाव के साथ स्पष्ट दृष्टिगोचर है। सैण्ड स्टोन चट्टानों में किया गया अध्ययन निम्नवत् हैः–

(1)	135–315 / पूर्वोत्तर	/ 33^0	ज्वाइंट
(2)	135–315 / पूर्वोत्तर	/ 35^0	ज्वाइंट
(3)	135–315 / पूर्वोत्तर	/ 37^0	ज्वाइंट
(4)	30–210 / पश्चिमीत्तोर	/ 45^0	ज्वाइंट
(5)	30–210 / पश्चिमीत्तोर	/ 47^0	ज्वाइंट
(6)	30–210 / पश्चिमीत्तोर	/ 49^0	ज्वाइंट
(7)	130–310 / दक्षिणपश्चिम	/ 67^0	नति
(8)	130–310 / दक्षिणपश्चिम	/ 69^0	नति
(9)	130–310 / दक्षिणपश्चिम	/ 71^0	नति

इस सम्पूर्ण संरेखन में भूगर्भीय टेक्टोनिक क्रम निम्नवत् है:–

मिट्टी की परत

डेब्रिस

सैण्डस्टोन

सैण्डस्टोन

सैण्डस्टोन

सैण्डस्टोन

इस सम्पूर्ण संरेखन में पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र स्थिति में पश्चिमोत्तर दिशा में है।

4. स्थल वर्णन:–

यह संरेखन बसाने–नाईसिला–बोहरागॉव–दैवीधुरा मोटर मार्ग के कि0मी0 20.725 के बोहरागांव से प्रारम्भ होकर धापला के बीच 5.50 कि0मी0 लम्बाई में फैला हुआ है। यह संरेखन उक्त मोटर मार्ग से प्रारम्भ होकर 5.50 कि0मी0 दक्षिणपश्चिम दिशा को पश्चिमोत्तर दिशा के पहाड़ी ढलान के साथ जाता है। संरेखण का सम्पूर्ण भाग सैण्डस्टोन चट्टानी भाग से होकर गुजरता है। इस भाग में पहाड़ी ढलान सामान्य से तीव्र स्थिति में है।

खेतो वाले भाग में भूमि के नीचे सैण्डस्टोन चट्टाने विद्यमान है। इस सम्पूर्ण संरेखण में कि0मी0 1 में बोहरागांव एवं प्राइमेरी पाठशाला विद्यमान है। कि0मी0 6 में धापला ग्राम एवं प्राइमरी पाठशाला तथा जूनियर हाईस्कूल विद्यमान है। इस समरेखन के कि0मी0 4 में दो नाले एवं 5 में 3 नाले विद्यमान है। इस संरेखन का अधिकतम भाग बेनाप भूमि में से होकर गुजरता है। इस संरेखन के सम्पूर्ण भाग में कोई भी भू–स्थलन क्षेत्र विद्यमान नहीं है। इस संरेखन में कुछ झाड़ियॉ विद्यमान है।

इस संरेखन के लिये तीन संरेखन स्थल देखे गये। जिसमें से क्षेत्र की आवश्यकता एवं उपयोगिता को देखते हुये उक्त वर्णित संरेखन स्थल को सम्यक विचारोपरान्त उचित एवं उपर्युक्त पांये जाने पर ही चयनित किया गया है। अन्य शेष दो संरेखन स्थलों को अनुचित एवं अनुपयुक्त पाये जाने पर उनको निरस्त किया गया है।

5. स्थाईत्व का विचार:–

इस संरेखन की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, भूगर्भीय, भुकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितिओं को देखते हुए इस भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्न लिखित बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक है:–

1. यह संरेखन पर्वतीय क्षेत्र में है।
2. यह संरेखन भूकम्पीय क्षेत्र में हैं
3. पर्यावरण का ध्यान दिया जाय।

4. इस संरेखन के कि0मी0 5 में 3 नाले विद्यमान है।
5. इस संरेखन के कि0मी0 4 में 2 नाले विद्यमान है।
6. इस भाग में कई सूखे नाले हैं
7. इसमें कुछ ग्राम आते है।
8. संरेखन का अधिकतम भाग चट्टानी भाग से गुजरता है।
9. इस संरेखन का पहाड़ी ढलान सामान्य से मध्यम स्थिति में है।
10. इस संरेखन में एक प्राइमरी पाठशाला है।
11. इस संरेखन में कोई भी भूस्खलन क्षेत्र नहीं है।

6. सुझावः–

इस संरेखन की स्थल संरचना व बनावट, स्थल वर्णन, स्थायित्व का विचार, भूगर्भीय, भुकम्पीय एवं पर्यावरणीय आदि परिस्थितिओं को देखते हुए इस भाग में मार्ग निर्माण हेतु निम्न लिखित सुझाव दिये जाते हैः–

1. सूखे नालों पर स्कपर/कॉजवे/कल्वर्ट का निर्माण किया जाय।
2. पहाड़ी की ओर नाली का निर्माण किया जाय।
3. डेब्रिस/गॉव/मंदिर/विद्यालय वाले भाग में ब्रेस्ट/रिटेनिंग वाल का आवश्यकतानुसार निर्गाण किया जाय।
4. कि0मी0 5 के नालों पर क्रमशः 5–5 मीटर विस्तार के पुल का निर्माण किया जाय।
5. कि0मी0 4 के नालों पर क्रमशः 15–15 मीटर विस्तार के पुलों का निर्माण किया जाय।
6. मंदिर/विद्यालय/गॉव वाले भाग में विस्फोटक सामग्री का उपयोग न किया जाय।
7. इस मार्ग में विद्यमान सी0सी0 मार्ग को विधायक के निवास तक समुचित ग्रेड में सही किया जाय।
8. पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मार्ग का निर्माण किया जाय।
9. मिट्टी/डेब्रिस वाले भाग में मार्ग के वाह्य भाग को ऊचा रखा जाय ताकि वर्षा के दिनों में पानी मार्ग को पार कर न बहे जिससे मार्ग यथावत् बना रहे।
10. पर्वतीय क्षेत्रों में बनने वाले मार्गो के मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
11. भूकम्पीय मानकों के अनुरूप उपाय किये जाय।
12. अन्य आवश्यक उपाय जो मार्ग निर्माण में आवश्यक हो किये जाय।

7. निष्कर्षः—

उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए इस भाग में मार्ग निर्माण करना उचित ए उपयुक्त प्रतीत होता है।

(2) स्थल निरीक्षण के दिन उक्त बिन्दुओं पर सम्बन्धित कर्मचारियों एवं अधिकारियों के सा विचार–विमर्श किया गया।

Mishra
11.7.06
(मणि कर्णिका मिश्र)
भू–वैज्ञानिक,
कार्यालय मुख्य अभियन्ता कुमायूँ क्षेत्र
लोक निर्माण विभाग, अल्मोड़ा

Photo copy attested

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

56

प्रारुप–29

(5.00 हे0 से अधिक के प्रकरणों में लागू)

Cost Benefit Ratio Calculation Performa

Name of Projct:- जनपद नैनीताल में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत देवीधुरा से धापला मोटर मार्ग का नव निर्माण।

लागू नहीं है।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

(AE)

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0
नैनीताल

ह0/–
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नाम–

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति........नैनीताल........

उपखण्ड ...नैनीताल... परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत .... 4.77 हे0 आरक्षित वन भूमि 0.09 हे0 सिविल एवं सोयम वनभूमि, वन पंचायत भूमि ...—... हे0 अर्थात कुल 4.860 हे0 वन भूमि) का ....प्रयोक्त एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति(तहसील....नैनीताल....) की दिनांक 18/11/14 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री..................................उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री..............................उपजिलाधिकारी..................................अध्यक्ष
2. श्री यू. सी. तिवारी..........उप प्रभागीय वनाधिकारी........................सदस्य
3. श्री ....सहायक समाज कल्याण अधिकारी..............सदस्य/सचिव
4. श्री हेमा देवी...............बी.डी.सी क्षेत्र .....धापला..........................सदस्य हेमा देवी

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत .... 4.860 ....हे0 वन भूमि ....लोक निर्माण विभाग नैनीताल.... प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्र्तत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त वनभूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग नैनीताल द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण के उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड नैनीताल परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद नैनीताल के अन्तर्गत..

क्रमशः 2पर

परियोजना के निर्माण हेतु 4.860 हे0 वनभूमि लोक निर्माण विभाग HTL प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकरी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील—
जनपद— नैनीताल

प्रतिलिपि— जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष,
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति,
तहसील—
जनपद— नैनीताल।

प्रपत्र—23

परियोजना का नाम—

53

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :–

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – धापला

तहसील नैनीताल, जिला नैनीताल।

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद नैनीताल के अन्तर्गत एस.सी.पी. ... मोटर मार्ग निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 4.77 हे0 आरक्षित वन भूमि, सिविल सोयम भूमि 0.090 हे0, वन पंचायत भूमि — हे0) अर्थात कुल 4.860 हे0 वन भूमि का — लोक निर्माण विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत धापला द्वारा दिनांक 31-10-2014 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधाानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागमत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम धापला के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि .... हे0 प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ह0/– 31-10-2014
ग्राम सचिव
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
धापला

ह0/–
ग्राम प्रधान
प्रधान
ग्राम पंचायत धापला
विकास खण्ड भीमताल

नोट– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रतत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

54

प्रपत्र—23.1

दिनांक 31-10-2014 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत......गापला......

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित ग्राम वासियों के नाम	हस्ताक्षर
(1)	Girish Chandra Joshi	Girish
(2)	पद्मा दत्त जोशी	पद्मादत्त
(3)	बाला दत्त जोशी	बालादत्त जोशी
(4)	मदन मोहन	[illegible]
(5)	लक्ष्मी दत्त	लक्ष्मी दत्त जोशी
(6)	देवकी देवी	
7	नवीन जोशी	N.C. Joshi
(8)	तारा जोशी	Joshi
(9)	C.S.	C.S. [illegible]
(10)	शान्ति देवी.	
		[illegible] देवी
(11)	राजेन्द्र पन्त	
(12)	[illegible] पंत	[illegible]
(13)	दिनेश चन्द्र जोशी	[illegible]
(14)	मोहित पन्त	D.C.J
(15)	रमेश चन्द्र पन्त	Mohit Pant
		रमेश चन्द्र
(16)	मदन मोहन पन्त	मदन मोहन पन्त
(17)	लक्ष्मी दत्त	लक्ष्मी दत्त

[illegible] देवी

प्रधान
ग्राम पचायत गापला
विकास खण्ड भीमताल
31-10-2014

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम—

कार्यालय उप जिलाधिकारी,